रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18072025-264783
CG-DL-E-18072025-264783

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 513] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 17, 2025/आषाढ़ 26, 1947
No. 513] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 17, 2025/ASHADHA 26, 1947

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2025

"राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (चिकित्सा योग्यता की मान्यता) विनियम (संशोधन), 2025"

फा. सं. एन-पी050(20)/8/2025-पीजीएमईबी-एनएमसी.—राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में निहित समस्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, और विशेष रूप से धारा 57 की उप-धारा (2) की उप-धाराओं (जेडपी), (जेडक्यू), (जेडआर), (जेडएस), (जेडटी), धारा 24 की उप-धारा (1)(जे), धारा 25 की उप-धारा (1)(आई), धारा 26 की उप-धारा (1)(एफ) को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम 30) की धारा 35,36,37,38,39 और 40 के साथ पढ़ते हुए, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग "राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (चिकित्सा योग्यता की मान्यता) विनियम, 2023" को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित मसौदा विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (i) ये विनियम “राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (चिकित्सा योग्यता की मान्यता) विनियम (संशोधन), 2025” कहे जाएंगे।

   (ii) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. विनियम के खंड 7 का पहला भाग, जो 'आवेदन शुल्क' शीर्षक के अंतर्गत है, हटा दिया गया है। अब, खंड 7 इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

“7. आवेदन शुल्क – भारत के बाहर किसी भी देश में कोई विदेशी प्राधिकरण, जिसे मान्यता दी गई है, उसे अपना आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करते समय आयोग को प्रति योग्यता $10000 (दस हजार अमेरिकी डॉलर मात्र) शुल्क के रूप में भुगतान करेगा।"

डॉ. राघव लंगर, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./246/2025-26]

नोट:—-मूल विनियम अर्थात्, "राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (चिकित्सा योग्यता की मान्यता) विनियम, 2023" भारत के राजपत्र के भाग-III खंड (4) में, 1 जनवरी, 2024 को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग संख्या सीडीएन-19012/5/2023-समन्वय-एनएमसी-(i) के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (चिकित्सा योग्यता की मान्यता) विनियम-2023 के खंड 7 में कुछ संशोधन का प्रस्ताव किया है। यह ड्राफ्ट विनियम उचित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से तैयार किया गया है और इससे प्रभावित होने वाले सभी हितधारकों की जानकारी के लिए इसे प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त ड्राफ्ट विनियम (संशोधन) पर विचार, उस तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात, किया जाएगा, जिस तारीख को यह ड्राफ्ट विनियम (संशोधन) की प्रतियाँ भारत के राजपत्र में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दी जाती हैं।

उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा विचार किया जाएगा।

आपत्तियां या सुझाव यदि कोई हों, तो उन्हें निदेशक (पीजीएमईबी), एनएमसी, कमरा सं.214, द्वितीय तल, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, पॉकेट-14, सेक्टर-8, द्वारका, फेज-1, नई दिल्ली-77 को संबोधित किए जा सकते हैं और नीचे दिए गए ई-मेल(recogmedqualifications2025@ nmc.org.in) के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में भेजे जा सकते हैं:

आपत्तियां और सुझाव **केवल** उपरोक्त ई-मेल आईडी पर भेजे जाएं तथा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों, जैसे भौतिक रूप से या अन्य तरीकों से भेजे गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

यह ड्राफ्ट अधिसूचना राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की वेबसाइट https://www.nmc.org.in पर उपलब्ध होगी।

सुझाव/टिप्पणियां प्राप्त करने का प्रारूप

क्रम सं	व्यक्ति/संस्था का नाम और पता, संपर्क नंबर, ई-मेल आईडी	ड्राफ्ट अधिसूचना का वह सम्बद्ध भाग, जिस पर टिप्पणियां दी जा रही हैं	टिप्पणियां/सुझाव	तर्क	टिप्पणियां

NATIONAL MEDICAL COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2025

“National Medical Commission (Recognition of Medical Qualification) Regulations (Amendment), 2025”

F. No. N-P050(20)/8/2025-PGMEB-NMC.—In exercise of overall authority vested with the National Medical Commission, and specifically vide sub-sections (zp), (zq), (zr), (zs), (zt) of sub-section (2) of Section 57, sub-section (1)(j) of section 24, sub-section (1)(i) of section 25, sub-section (1)(f) of section 26, read with Section 35, 36, 37, 38, 39 and 40 of the National Medical Commission Act, 2019 (Act 30 of 2019), the National Medical Commission makes the following **draft Regulations** to further amend “National Medical Commission (Recognition of Medical Qualification) Regulations, 2023” namely:-

1. (i) These regulations may be called the “National Medical Commission (Recognition of Medical Qualification) Regulations (Amendment), 2025”.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Part one of Clause 7 of the Regulations, under the heading “Application fee” is deleted. Now clause 7 will read as:

“**7. Application fee** - Any foreign authority in any country outside India, entrusted with the recognition shall remit $ 10000 (US dollars ten thousand only) per qualification as fees to the Commission while submitting its application in a proforma’.

Dr. RAGHAV LANGER, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./246/2025-26]

Note: - The Principal Regulations namely, “National Medical Commission (Recognition of Medical Qualification) Regulations, 2023” were published in Part-III Section (4) of the Gazette of India on the 1st January, 2024, vide National Medical Commission Notification No. CDN-19012/5/2023-Coord-NMC(i)**.**

The National Medical Commission proposes certain amendment to the Clause 7 of National Medical Commission (Recognition of Medical Qualification) Regulations-2023, the draft Regulation prepared and approved by the competent authority following due procedures is hereby published for information of all stakeholders likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft Regulation (amendment) shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty (30) days from the date on which the copies of the Gazette of India containing these draft Regulation (amendment) are made available to public.

Objections and suggestions which may be received from any person within the period specified above will be considered by the National Medical Commission.

Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Director (PGMEB), NMC, Room No.214, 2nd Floor, National Medical Commission, Pocket-14, Sector-8, Dwarka, Phase-1, New Delhi-77 and sent by e-mail at (recogmedqualifications2025@nmc.org.in) in the prescribed format attached below:

The objections and suggestions be sent **only** on the above e-mail ID and objections/suggestions received in any other means i.e. physical or through other modes may not be entertained.

This draft notification will be available on National Medical Commission’s website https://www.nmc.org.in

Format for Seeking Suggestion/ Comments

Sl No.	Name & Address of the Organization, Contact Number, e-mail ID	Relevant Section in the Draft Notification on which comments are being provided.	Comments/ Suggestions	Rationale	Remarks

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.07.18 14:45:28 +05'30'